राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4050/2010

जयनारायण रैगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अस्पताल, लाडनू, जिला नागौर।
3. सहायक लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.11.2010
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र कुमार, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2009 एवं 31.03.2010 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 01.07.2008 से पदोन्नति उपरांत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तथा साथ ही समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक रेडियोग्राफर के पद पर दिनांक 26.11.1998 को हुई थी और आदेश दिनांक 15.01.2008 के द्वारा वर्ष 2006–07 के विरूद्ध रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 01.07.2008 से दिया गया। जबकि अपीलार्थी को दिनांक 01.07.2007 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था। जबकि उसे एक वर्ष पश्चात् उक्त लाभ प्रदान किया गया है, जो राजस्थान सिविल सेवा (वेतन निर्धारण) नियम, 2008 के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध विभाग द्वारा न तो कोई दण्ड

दिया गया और न ही सेवाभिलेख कलंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 01.07.2007 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2009 एवं 31.03.2010 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 01.07.2008 से पदोन्नति उपरांत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तथा साथ ही समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का वेतन निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2008 के अंतर्गत किया गया है। वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13.02.2009 के आधार पर चल रहे पे बैण्ड में 6 माह का समय पूर्ण नहीं होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि पाने योग्य नहीं है और 01 जुलाई को ही वार्षिक वेतन वृद्धि पाने का हकदार होता है और इस प्रकार अपीलार्थी की वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2008 को निर्धारित किया जाना सही एवं नियमानुसार है। अपीलार्थी पदोन्नति उपरांत 6 माह की निरंतर सेवा पूर्ण नहीं होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। पुनर्निधारण वेतनमान नियम, 2008 के नियम 14 के अंतर्गत 6 माह की सेवा उपरांत ही वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जा सकता है और इस प्रकार उक्त नियम के आधार पर अपीलार्थी पदोन्नति उपरांत 6 माह की निरंतर सेवा पूर्ण नहीं होने पर दिनांक 01.07.2007 से वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति सहायक रेडियोग्राफर के पद पर दिनांक 26.11.1998 को हुई थी और आदेश दिनांक 15.01.2008 के द्वारा वर्ष 2006–07 के विरूद्ध रेडियोग्राफर के पद पर पदोन्नत किया गया। विभाग के आदेश दिनांक 30.01.2008 एवं 22.02.2008 के द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति दिनांक 31.03.2007 से निर्धारित की गई और इस प्रकार अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिनांक 31.03.2007 से प्रदान किया गया। जहां तक अपीलार्थी को पदोन्नति उपरांत दिनांक 01.07.2007 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नहीं किए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–2,

3 एवं 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 31.03.2007 से पदोन्नति निर्धारित की गई है और पुनर्निधारण वेतन नियम, 2008 के नियम 14 के अंतर्गत पदोन्नति उपरांत 6 माह का समय आवश्यक है और इस प्रकार अपीलार्थी को मार्च, 2007 में पदोन्नत किया गया और जुलाई, 2007 जो कि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने का प्रावधान है, जुलाई, 2007 तक अपीलार्थी की सेवा अवधि मात्र 4 माह ही है और इस प्रकार पदोन्नति उपरांत 6 माह की निरंतर सेवा अवधि पूर्ण नहीं होने पर अपीलार्थी दिनांक 01.07.2007 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)